WCR

अधिसूचना

सर्व सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल मे डीजल लोको शेड नई कटनी जंक्शन स्थित कैंटीन में लगभग आठ सौ (800) रेल कर्मचारियों के लिए निर्धारित नियमों / शर्तों के तहत चाय, खान–पान सुविधा के लिये कैंटीन चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

आवेदन पत्र का प्रारूप एवं कैंटीन संचालन नियमावली पश्चिम मध्य रेल की बेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है अतः यहां से डाउनलोड कर सकते है अथवा डीजल लोको शेड नई कटनी जंक्शन के प्लानिंग अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 17:00 बजे तक प्राप्त कर सकते है।

आवेदन प्रारूप पूर्णत: भरकर डीजल शेड न.क.ज. के प्लानिंग अनुभाग में रखे बॉक्स में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 17:00 बजे तक जमा कर सकते है। अधूरे भरे आवेदन प्रारूप मान्य नहीं होंगे व अस्वीकार किये जायेंगें।

आवेदन पूरी तरह भरकर दिनांक **16.06.2025** को 15:00 बजे तक पहुंचना आवश्यक है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष
कैन्टीन कमेटी
डीजल लोको शेड नई कटनी जंक्शन

आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

1. नाम...
2. पिता का नाम...
3. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
4. वर्तमान में व्यवसाय...
5. शैक्षणिक योग्यता...
6. कैंटीन संचालन हेतु कार्य अनुभव का विवरण...
7. यदि पूर्व में रेलवे में कार्य किया हो तो उसका विवरण दें कि कहां पर किस पद पर कार्य किया है.........
   ....
8. कोई आपराधिक केस लम्बित विचाराधीन तो नहीं है । यदि है तो उसका विवरण दें ....
   ....
9. वर्तमान की पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट (प्रति संलग्न करें)..
10. पेन कार्ड नं...मोबाइल नं...
11. कैंटीन चलाने हेतु प्राप्त लाइसेन्स का विवरण (प्रति संलग्न करें)..
12. कर्मचारी कल्याण समिति की सभी शर्तों को मानते हुए, जो ठेकेदार सबसे ज्यादा शेड स्टॉफ कैन्टीन नकजं को अनुदान राशि देना स्वीकार करेगा, उस ठेकेदार को ठेका दिया जायेगा।
13. अनुदान राशि न्यूनतम– रू 1000/– ;एक हजार रुपये मासिक या रू.12000/– बारह हजार रुपये वार्षिक है। वार्षिक अनुदान राशि मासिक का 12 गुना होगा यदि दोनो मे अन्तर पाया जायेगा तो वह निविदा निरस्त हो जायेगी।
14. अनुदान राशि प्रस्तावित –

अनुदान राशि	मासिक	वार्षिक
राशि (अंको में)		
राशि (शब्दो में)		

में एतदद्वारा घोषणा व प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण तथा सही हैं एवं मैंने डीजल शेड स्टॉफ न.क.जं केन्टीन संचालन के नियम व शर्तें जो कि पत्र के साथ संलग्न है को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है और पत्र में दिए गऐ नियम तथा शर्ते मुझे मान्य है जिनको स्वीकार कर आवेदन के साथ जमा किया जा रहा है। यदि मुझे नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो समिति का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर नाम व पता

साक्षी के हस्ताक्षर व पूरा नाम, पता

मोबाईल नम्बर......................................

स्थान..................................

दिनांक..

कैंटीन संचालन नियमावली

1. कैन्टीन का संचालन लगभग 800 कर्मचारियों के लिए होगा।
2. रेलवे की तरफ से कैंटीन संचालन हेतु स्थान शेड कैंटीन बिल्डिंग में निर्धारित है। रेलवे की तरफ से कैंटीन में फर्नीचर, पानी लाईट उपलब्ध है। प्राइवेट ठेकेदार को केवल समिति की तरफ से निर्णित सुविधा जैसे – फर्नीचर ,बर्तन, खाली गैस सिलेण्डर, चूल्हा, भट्टी, फ्रिज आदि दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा नहीं दी जायेगी। केवल किचेन एवं काउंटर का बिजली बिल प्रति माह ठेकेदार द्वारा जमा कराया जायेगा।
3. कैंटीन ठेकेदार के सभी कर्मचारी वयस्क होने चाहिए। खाद्य सामग्री बनाने, बेचने एवं सर्व करने हेतु उपयुक्त कर्मचारी होना चाहिये। कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन एवं मेडिकल प्रमाण पत्र ठेकेदार को उपलब्ध करवाना आवश्यक है। कैंटीन ठेकेदार सभी कर्मचारियों का आई कार्ड एस. एस.ई. लोको से सत्यापित करवाकर अपने कर्मचारियों को देंगे। ठेकेदार का कोई भी अन्य व्यक्ति शेड के अन्दर नहीं आयेगा, आने पर रू 200.00 प्रति दिन प्रति व्यक्ति पेनाल्टी लगाई जायेगी।
4. कैंटीन में शराब,धूम्रपान एवं कोई भी नशा पूर्णतया वर्जित होगा, यदि ठेकेदार का कोई कर्मचारी कैन्टीन में पान मसाला, तम्बाकू, शराब या अन्य मादक पदार्थ का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कैन्टीन ठेकेदार की होगी। ऐसे करते हुए पाये जाने पर ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगाया जायेगा जोकि कम से कम 1000/– रूपये होगा, तथा ठेका तुरन्त प्रभाव से बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
5. कैंटीन में कार्यरत् कर्मचारियों को कोई संक्रामक बीमारी न हो। इसकी डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट हर वर्ष ठेकेदार द्वारा कार्यालय में जमा करानी होगी।
6. कैंटीन में कार्यरत् ठेकेदार के कर्मचारियों को यूनिफार्म (कैप, एप्रिन एवं हैड ग्लोब्स) एवं बैज पहनना जरूरी है। कर्मचारियों को पहनने हेतु यूनिफार्म ठेकेदार उपलब्ध कराएगा।
7. प्राइवेट ठेकेदार द्वारा कैंटीन संचालन का कार्यकाल केवल दो वर्ष का होगा। कुशल संचालन करने पर अवधि एक वर्ष बढ़ायी जा सकती है।
8. कैंटीन का शुल्क प्रति माह न्यूनतम रू. 1000/– या प्रति वर्ष न्यूनतम रू. 12000/– निर्धारित किया गया है जो कि समय–समय पर पुनः निर्धारित किया जायेगा। सभी शर्तें पूरी होने पर शुल्क प्रति माह अधिक देने वाले निविदाकार को कार्य दिया जायेगा।
9. निविदा फार्म के साथ फर्म को सचिव, डीजल शेड कैंटीन समिति नई कटनी जंक्शन/कटनी के पक्ष में सेक्यूरिटी राशि रू. 40000/– का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। संचालन हेतु सिक्यूरिटी राशि रू 40,000/– संचालक समिति के खाते में जमा रहेगी एवं उपलब्ध कराये गये सामानों में कमी या टूट–फूट होती है, तो इसकी कटौति सिक्योरिटी राशि रू 40,000/– से कर ली जायेगी। असफल निविदाकारों की सेक्यूरिटी राशि वापस कर दी जायेगी एवं सफल निविदाकार की सेक्यूरिटी राशि जमा कर ली जायेगी यदि सफल निविदाकार कार्य आदेश मिलने पर 05 दिन के अन्दर कार्य नही शुरु करेगा या नियमों की अवहेलना करेगा तो उसकी सिक्यूरिटी राशि रू 40,000/– का 50 प्रतिशत रू 20,000/– राजसात कर ली जायेगी और शेष राशि रू 20,000/– उनको वापस की जायेगी।
10. कैन्टीन संचालन में खाने पीने की दरें एवं मात्रा समिति द्वारा निर्धारित की गई हैं जो कि समयानुसार कमेटी द्वारा पुनः निर्धारित की जाती है। कैंटीन में बेचे जाने वाली खाद्य–सामग्री उत्कृष्ट गुणवत्ता की होनी चाहिए। गुणवत्ता की जांच कच्चे माल से लेकर किसी भी खाद्य–सामग्री तक, नामित संचालन समिति करेगी। किसी भी सामग्री का रेट कभी भी आई.आर. सी.टी.सी के रेट से अधिक नहीं होगा। वर्तमान रेट लिस्ट **संलग्नक 01** में दी गई है।
11. कैंटीन में बनने वाली खाद्य सामग्री का मीनू अध्यक्ष द्वारा नामित समिति तय करेगी।
12. कार्यालय के कार्य दिवसों में कैंटीन समय से आवश्यकतानुसार ही खोली जाएगी। सामान्यतः कैंटीन का समय प्रातः 07:00 से 20.00 तक का होगा।
    1. सुबह की चाय – 07.00 से 07.30

2. ब्रेक फास्ट 10:00 से 10:30 एवं लंच 12:00 से 13:00 बजे तथा दोपहर की चाय 15:00–15:30
3. शाम की चाय – 18.00 से 19.00 बजे तक तैयार होना चाहिए।

13. प्राइवेट ठेकेदार को कैंटीन की साफ–सफाई, बैठने की व्यवस्था, खाने–पीने की वस्तुओं की मात्रा व गुणवत्ता बनाकर रखना होगा।
14. राष्ट्रीय प्रेम भावना के साथ प्राइवेट ठेकेदार को रेल कर्मचारियों के साथ भाईचारे का व्यवहार तथा शांति बना कर रखनी होगी।
15. कैंटीन से निकला सूखा एवं गीला कचरा, अलग–अलग कचरापात्र में डालना प्राइवेट ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी।
16. यदि कैंटीन के खाने पीने की व्यवस्था में किसी प्रकार की विषैली चीज या नशे वाली चीजें मिलीं तो प्राइवेट ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इसके लिए प्राइवेट ठेकेदार के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।
17. कैंटीन संचालन के लिए किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय संचालन समिति अध्यक्ष का होगा। और ठेकेदार उस को मानने के लिए बाध्य होगा।
18. कैंटीन सम्बंधी नियमों व शर्तो का पालन करते हुए एवं सभी योग्यताओं को देखते हुए कैंटीन संचालन का ठेका दिया जाएगा।
19. उपरोक्त नियमों में समय–समय पर संशोधन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। जिसे मानने हेतु ठेकेदार बाध्य रहेगा।
20. खाद्य वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत स्थानीय निकाय/राज्य शासन द्वारा अधिघोषित नियमों में आवश्यक अनुमति/लाइसेंस ठेकेदार द्वारा निविदाफार्म के साथ जमा करेगा।
21. ठेकेदार केंटीन और उसके आसपास के क्षेत्र को हमेशा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थिति में रखेगा।
22. केंटीन के अध्यक्ष सचिव या नामित समिति या अन्य कोई पदाधिकारी किसी भी समय केंटीन का निरीक्षण कर सकते है। ठेकेदार उनके निरीक्षण के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा।
23. किसी भी कार्य दिवस में ठेकेदार कैंटीन को बंद नही करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उसे अधिकृत नहीं किया गया हो।
24. ठेकेदार उक्त शर्तो को मानने के लिए लिखित सहमति टेण्डर के साथ देगा कि वह उक्त शर्तो को मानने के लिए सहमत है।
25. प्राइवेट ठेकेदार को निष्पक्ष भाव से कैंटीन चलाना होगा और तय बिन्दुओं के आधार पर ही कैंटीन का संचालन होगा।
26. अन्य किसी भी असंतोष पूर्ण कार्य पर अध्यक्ष केंटीन कमेटी का निर्णय या पेनाल्टी ठेकेदार को मानना पडेगा।
27. ठेकेदार के कर्मचारी केवल स्टॉफ केंटीन के परिसर में ही रहेंगे, शेड परिसर में इधर–उधर नहीं घूमेंगे। घूमते हुए पाये जाने पर कैंटीन कमेटी कार्यवाही करेगी।
28. कोई अप्रिय घटना घटित होने पर रेलवे की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जावेगी।
29. ठेकेदार को केंटीन में तैयार खाद्य–सामग्री की सूची प्रतिदिन बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा अध्यक्ष, सचिव द्वारा निर्देशित खाद्य–सामग्री को केंटीन में आवश्यक रूप से तैयार करके सूची में प्रदर्शित करना होगा।
30. काउंटर पर पैसे का लेन–देन डिजिटल ट्रॉंजेक्शन द्वारा भी किया जा सकता है।
31. टेंडर प्रकिया या कार्य को कभी भी किसी भी स्थिती में बिना किसी कारण बताये अध्यक्ष केंटीन कमेटी द्वारा समाप्त किया जा सकता है।
32. कैंटीन से संबंधित किसी भी मामले में उत्पन्न विवाद पर कैंटीन संचालक समिति अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रहेगा और ठेकेदार उसको मानने के लिये बाध्य होगा।
33. सफल निविदाकार को दिनॉक **22.07.2025** को सायं डीजल शेड स्टॉफ कैंटीन हैण्डओवर दे दी जायेगी।

संल्गनक – 1 डीजल शेड स्टाफ कैन्टीन निर्धारित मूल्य सूची

कमांक	सामग्री का नाम	आपके द्वारा निर्धारित रेट तथा कितनी मात्रा होगी	रिमार्क
1	भोजन– दाल, चावल सब्जी, 4 रोटी, अचार, पापड़ सलाद	40/– थाली	रायता 50 ग्राम 5/– रूपये/दही 100 ग्राम 10/– रूपये अलग से।
2	स्पेशल थाली (मटर पनीर/पालक पनीर/ कढ़ाई पनीर)	70/– थाली। इसका कूपन 11 बजे तक कटेगा।	01 पनीर सब्जी, सूखी सब्जी, 04 रोटी, बटर 5/– वाला, चावल, पापड़ अचार, दाल, दही या छाछ, 01 मीठा।
3	चाय चालू	5/– (75 एम.एल.)	
	चाय स्पेशल	10/– स्पेशल (75 एम एल)	
4	कॉफी	10/– प्र. कप (100 एम एल)	
5	समोसा	7/– (50 ग्राम)	
6	खस्ता	7/– (40 ग्राम)	
7	कचौड़ी	7/– (40 ग्राम)	
8	आलूबंडा	7/– (50 ग्राम)	
9	कटलेट	10/– (80 ग्राम)	01 पीस, चटनी या टोमैटो सॉस के साथ
10	दाल बड़ा	7/– (40 ग्राम)	
11	ब्रेड पकौड़ा	7/– (50 ग्राम)	
12	सलोनी, सेव, चिवड़ा	120/– प्रति किलो	सोयाबीन तेल से तैयार
13	दालमोट	120/– प्रति किलो	
14	बालूशाही	130/– प्रति किलो 6/– प्र.नग(40ग्रा.)	240/– देशी घी वाले।
15	बूंदी लड्डू	130/– प्रति किलो 6/– प्र.नग(40ग्रा.)	200/– देशी घी वाले।
16	मगज लड्डू	130/– प्रति किलो 6/– प्र.नग(40ग्रा.)	220/– देशी घी वाले।
17	बेसन बर्फी	120/– प्रति किलो	200/– देशी घी वाले।
18	दही बड़ा	20/– दो पीस,	दो बडे., 50 ग्राम दही, नमक, जीरा, मिर्च डालकर
19	भजिया	120/– प्रति किलो	100 प्रतिशत शुद्व बेसन (चना दाल पिसवा कर)
20	मुंगोड़ी	120/– प्रति किलो	
21	गुलाब–जामुन 6/– प्र.नग(40ग्रा.)	120/– प्रति किलो 180/– प्रति किलो	बाजार के खोवे के स्वयं के खोवे का बनाया हुआ।
22	पोहा, जलेबी	20/– प्रति प्लेट	(50 ग्राम जलेबी और 90 ग्राम पोहा, 10 ग्राम सेव)
23	खोवा जलेबी	150/– प्रति किलो 240/– प्रति किलो	डालडा देशी घी
24	पूड़ी सब्जी	30/– प्रति प्लेट	6 पूड़ी, सब्जी, अचार, मिर्ची, प्याज
25	छोले भटूरे (4 भटूरे)	40/– प्रति प्लेट	
26	पाव भाजी	30/– प्रति प्लेट	4 पीस पाव, भाजी 100 ग्राम, चटनी, प्याज
27	पराठा (आलू, मेथी,गोभी, मूली, जीरा अजवाइन) चटनी सहित	25/– (100 ग्रा.प्र.नग) चटनी के साथ।	
28	पराठा सादा	12/– (100 ग्रा. प्र. नग)	आलू की सब्जी 40 ग्राम
29	दही मीठा	10/– (100 ग्राम)	

30	आईसक्रीम	खुदरा मूल्य	
31	स्नैक्स	खुदरा मूल्य	
32	इडली सांभर–बड़ा	20/– प्रति प्लेट 2 पीस	10/–सिंगल पीस
33	सेंडबिच (वेज)	20/– दो पीस	प्याज ककड़ी टमाटर, नमक, काली मिर्च
34	चना, मूंग मोठ (धुधरी लो कैलोरी)	20/– (100 ग्राम)	साथ में 10 ग्राम नमकीन सेव
35	उपमा	15/–(100 ग्राम)	सोयाबीन तेल से बना हुआ।
36	ढोकला	25/– (100 ग्राम)	
37	रस मलाई, छेना रसगुल्ले, कलाकंद मलाई बर्फी, मिल्क केक, छेना भुर्जी	बाजार से 10 प्रतिशत कम रेट पर।	बाजार का खोवा इस्तेमाल नही होगा। शुद्ध दूध से बनाया हुआ खोवा इस्तेमाल होगा।

नोट – 1. कोई भी पैक समान एक्सपाईरी तिथि के बाद का एवं प्रिन्ट रेट से अधिक पर नही बेचा जायेगा।

2. केंटीन कमेटी के द्वारा निर्धारित सामग्री रखना आवश्यक रहेगा। अन्य कोई भी सामग्री ठेकेदार अपनी स्वेच्छा से बना कर बेच सकता है, लेकिन रेट आई आर सी टी सी से 10 प्रतिशत कम रहेंगे।

3. निविदाकार खाद्य सामग्री केंटीन मे तैयार करेंगे, कोई भी तैयार खाद्य सामग्री बाहर से न तो लाई जायेगी और न ही बाहर जायेगी। पैक एवं किराना, दूध और सब्जी ला सकते है।